विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979

[1]**का0 आ0 519(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979**---केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 5क की उपधारा (2) और धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का लागू होना-- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, वहां तक जहां तक उनका संबंध राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन से है, सिक्किम की विधान सभा के किसी निर्वाचन को, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :--

(i) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,--

(क) "प्ररूप 2क से लेकर 2ङ तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप 2च से लेकर 2ज तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में "प्ररूप 2क या प्ररूप 2ख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप 2च, प्ररूप 2छ या प्ररूप 2ज" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उक्त नियमों के नियम 7 में " 3क से लेकर 3ग तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " प्ररूप 3घ या प्ररूप 3ङ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उक्त नियमों के नियम 37 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं अधीन रहते हुए पीठासीन आफिसर उस दशा में जबकि कोई निर्वाचक अपना अभिज्ञान पत्र किसी विधिमान्य कारण से पेश करने में असमर्थ है और पीठासीन आफिसर का ऐसे निर्वाचक के अभिज्ञान के बारे में अन्यथा समाधान हो गया है, ऐसे निर्वाचक को मतपत्र का प्रदाय कर सकेगा और उसे मतदान करने देगा ।";

[2]* * * *

[1] भारत का राजपत्र, असाधारण, 1979, भाग 2, खंड 3 (ii), पृ0 902-906 में प्रकाशित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1192(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2003 द्वारा खंड (iv) का लोप किया गया ।

[1][(v) उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप सं0 2क से 2ङ तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जांएगे, अर्थात् :-

"प्ररूप 2च

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

भूटिया/लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा का निर्वाचन

भाग 1*

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी का नाम ..... है उसका डाक पता ..... उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम..... है और जो.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 ..... में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

तारीख..... प्रस्थापक के हस्ताक्षर

भाग 2*

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए

हम सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम..... उसका डाक पता.....उसका नाम.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर ।

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				
क्रम सं.	निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन यथापेक्षित प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिएं ।

***जो लागू न हो वह भाग काट दें ।**

---

[1] अधिसूचना सं0 1192 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 3

मैं, भाग 1* या भाग 2* में वर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि--

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख)(i)* मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल*/ राज्य दल* है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए ।

(ii) मुझे* इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो एक रजिस्ट्रीकृत-अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल* है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में इस प्रकार हैं :--

(1).....(2).....(3).....

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/ माता/ पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखे गए हैं ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं भूटिया/ लेप्चा मूल का सिक्किमी हूं ।

तारीख..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* जो लागू न हो वह काट दें ।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सिक्किम राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग 4

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को कभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (किन्ही अपराधों) ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,--

(i) सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) किसी अन्य अपराध (किन्हीं अन्य अपराधों) के लिए हां/नहीं
सिद्धदोष ठहराया गया है , जिसके लिए उसे दो वर्ष या
अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ,

यदि उत्तर "हां" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है.....
.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया.....

(vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें].....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध अपील (अपीलों)/ फाइल किए गए थे : हां/ नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां : .....

(x) उस न्यायालय (न्यायालयों) के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए ।

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षित आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है/वे लंबित हैं .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षित आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित किए गए आदेश (आदेशों) की प्रकृति .....

स्थान :

तारीख : (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 5

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी*/*प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग 6

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के उपबंधों के अनुसार संवीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित विनिश्चय करता हूं :

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग 7

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0.....

.....अभ्यर्थी का, ...विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन-पत्र मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी /* प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) में की जाएगी ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

[1]प्ररूप 2छ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

साधारण निर्वाचन-क्षेत्र या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा का निर्वाचन

भाग 1*

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता ..... उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम..... है और जो.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 ..... में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

तारीख..... प्रस्थापक के हस्ताक्षर

भाग 2*

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

हम सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता.....उसका नाम.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

*** जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।**

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 726(अ) तारीख 6 फरवरी, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हम घोषणा करते हैं कि हम इस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं, और हमारे नाम इस विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं : --

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				
क्रम सं.	निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन यथापेक्षित प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिएं ।

भाग 3

मैं, भाग 1* या भाग 2* में वर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि--

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख)(i) * मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल*/ राज्य दल* है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए ।

(ii)* मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत-अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल* है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी* के रूप में लड़ रहा हूं और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में इस प्रकार हैं :--

(1).....(2).....(3).....

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/ माता/ पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखे गए हैं।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं जाति..... का सदस्य हूं, जो सिक्किम राज्य की अनुसूचित जाति है ।

तारीख..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* जो लागू न हो वह काट दें ।

कृपया ध्यान दें :-- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सिक्किम राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग 4

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को कभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (किन्हीं अपराधों); या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,-

(i) सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) किसी अन्य अपराध (किन्हीं अन्य अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है , जिसके लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है , हां/नहीं

यदि उत्तर "हां" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया.....

(vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें].....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/ फाइल की गई थी : हां/ नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां : .....

(x) उस न्यायालय (न्यायालयों) के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए .....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है/वे लंबित हैं .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित किए गए आदेश (आदेशों) की प्रकृति .....

स्थान :

तारीख : (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 5

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी***/**प्रस्थापक***** द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग 6

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार संवीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित विनिश्चय करता हूं :-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग 7

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0.....

.....अभ्यर्थी का, ...विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन-पत्र मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख)को.....(बजे) *अभ्यर्थी /* प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) में की जाएगी ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो लागू न हो वह काट दें ।

[1]प्ररूप 2ज

[नियम 4 देखिए]

नामनिर्देशन-पत्र

संघा निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा का निर्वाचन

भाग 1*

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए संघा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/ माता/पति का नाम..... उसका डाक पता ..... उसका नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम..... है और जो संघा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 ..... में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

तारीख..... (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

---

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 726(अ), तारीख, 6 सितंबर, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 2*

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए

हम सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन के लिए संघा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम..... उसका डाक का पता.....उसका नाम संघा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम इस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम इस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं, और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :--

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर ।

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				
क्रम सं.	निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन यथापेक्षित प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिएं ।

*जो लागू न हो वह भाग काट दें ।

भाग 3

मैं, भाग 1*/ भाग 2* में वर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि--

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख)(i) * मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल*/ राज्य दल* है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए ।

(ii)* मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत-अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल* है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी* के रूप में लड़ रहा हूं और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में इस प्रकार हैं :--

(1).....(2).....(3).....

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/ माता/ पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखे गए हैं ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं संघा हूं ।

तारीख..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सिक्किम राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग 4

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को कभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (किन्हीं अपराधों) ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,-

(i) सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) किसी अन्य अपराध (किन्हीं अन्य अपराधों) के लिए हां/नहीं
सिद्धदोष ठहराया गया है , जिसके लिए उसे दो वर्ष या
अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ,

यदि उत्तर "हां" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है.....
.....
.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होनें) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया.....

(vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें].....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखे).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/ नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां : .....

(x) उस न्यायालय (न्यायालयों) के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए ।

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षित आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है/वे लंबित हैं .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षित आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो-
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....
(ख) पारित किए गए आदेश (आदेशों) की प्रकृति .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :
तारीख :

भाग 5

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी / *प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

भाग 6

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के उपबंधों के अनुसार संवीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित विनिश्चय करता हूं :--

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग 7

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0.....

.....अभ्यर्थी का, संघा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन-पत्र मुझे, मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी /* प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) में की जाएगी ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर]

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

---

[1][(vi) उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 3क से 3घ तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे अर्थात् :-

[1][प्ररूप 3घ

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

(भूटिया/लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से या संघा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिए)

..... निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं : --

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	मूल की विशिष्टियां	सम्बद्ध दल
1	2	3	4	5	6	7

अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं0			प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं0		
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली भाग सं0	उस भाग में अभ्यर्थी के नाम का क्रम सं0	प्रस्थापकों के नाम	निर्वाचक नामावली भाग सं0	उस भाग में प्रस्थापकों के नाम का क्रम सं0
8	9	10	11	12	13

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर]

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1192(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 3ङ

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

(साधारण निर्वाचन-क्षेत्र या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिए)

..... निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं : --

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	जाति की विशिष्टियां	सम्बद्ध दल
1	2	3	4	5	6	7

अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं0			प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं0		
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली भाग सं0	उस भाग में अभ्यर्थी के नाम का क्रम सं0	प्रस्थापकों के नाम	निर्वाचक नामावली भाग सं0	उस भाग में प्रस्थापकों के नाम का क्रम सं0
8	9	10	11	12	13

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर]

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 726(अ), तारीख 6 सितबर, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।